

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1531

दिनांक 18/11/2021

प्रार्थीगण :-

1.वीरमाराम पुत्र रावताराम वगैरा  
एवं प्रार्थी सं. 2 से 18  
जातियान सुथार, निवास साकरिया तला  
तहसील चौहटन,जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.सालूराम पुत्र अचलाराम एवं विप्रार्थी सं. 2  
से 47, जातियान सुथार, निवासी साकरिया  
तला, तहसील चौहटन विप्रार्थी सं. 18 व 25  
से 29 निवासी जूना खेड़ा (आमलियाली),  
तहसील गुड़ामालानी  
48.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 104/2019

दिनांक : 18.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन  
पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा साकरिया तला के खेत खसरा सं. 564 रकबा 24.01 बीघा, खसरा सं.  
678 रकबा 37.00 बीघा, खसरा सं. 791 रकबा 120.03 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप  
अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमी की  
नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित  
पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश  
रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1832 to 1835

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण वीरमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सालूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी ok  
उपखण्ड अधिकारी  
दिनांक चौहटन  
18/11/2021

